प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रचार–प्रसार की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

गर्भवती महिलाओं को खून की कमी से बचाने, उनके समुचित पोषण और उन्हें समस्त स्वास्थ्य सेवाएं समय से उपलब्ध कराने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है योजना के अन्तर्गत सभी महिलाओं को प्रथम गर्भ धारण करने पर समस्त स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कराने हेतु सहायता राशि का प्राविधान रखा गया है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु–दर में कमी लाई जा सके । इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर सिफ्सा को नामित किया गया है । योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सिफ्सा द्वारा आई0ई0सी0–बी0सी0सी0 अभियान का नियोजन किया गया है जिसे जनपद में समुचित रूप से संचालित किया जाना अपेक्षित है ।

इस योजना के प्रचार–प्रसार की गतिविधियों हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं :–

- प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर, होर्डिंग, पेम्फलेट, वाल पेन्टिंग तथा समाचार पत्रों हेतु विज्ञापन का डिजाइन राज्य स्तर पर विकसित करके प्रोटोटाइप आपको प्रेषित किए जा रहे हैं ।
- समस्त प्रचार–प्रसार की सामग्री का निर्माण विशेषज्ञों के परामर्श के उपरान्त किया गया है जिसका अनुमोदन अधिशासी निदेशक, सिफ्सा के द्वारा किया जा चुका है अतः अपने स्तर से किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन करने से पूर्व सिफ्सा प्रबन्धन की अनुमति अनिवार्य होगी ।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वयन दिशा–निर्देश के चैप्टर–7, पृष्ठ संख्या–19 के अनुसार प्रचार–प्रसार एवं जन–समुदाय तक योजना की पहुँच बढ़ाने हेतु किए जाने वाले समस्त कार्यक्रम –**All India Radio**, **Song and Drama Division, Directorate of Advertising and visual publicity (DAVP), Division of field publicity, State IEC bureau, Print Media, Regional TV channels Social Media etc.** के माध्यम से किए जायेगें ।

होर्डिंग :

- जनपद स्तर पर कम से कम 2 होर्डिंग तथा प्रत्येक ब्लाक में एक होर्डिंग अवश्य लगाई जाए । यह होर्डिंग महिला कल्याण एवं बाल विकास कार्यालय तथा सरकारी विभागों के प्रांगण जैसे महिला अस्पताल, जिलाधिकारी कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में लगाया जाना सुनिश्चित कराएं । होर्डिंग हेतु विवरण–Flex 200 GSM, Size 12’ x 10’ in 4 colour. होर्डिंग भारी एवं मज़बूत लोहे के फ्रेम पर जड़ी जानी चाहिए । होर्डिंग को कम से कम 1 वर्ष तक अपने स्थान पर लगे रहना अनिवार्य है । यदि फ्लैक्स निर्धारित अवधि के बीच में फटता है या उसका रंग उड़ता है, ऐसी स्थिति में फ्लैक्स को तुरन्त बदलना अनिवार्य होगा ।
- जिला स्तर पर लगाई जाने वाली होर्डिंग्स पर जिले का नाम एवं ब्लाक की होर्डिग पर ब्लाक का नाम एवं होर्डिंग्स की संख्या अवश्य लिखी हो । लगाई गई होर्डिंग का चित्र खींचकर भेजे जा रहे निर्धारित फॉर्मेट पर चिपका कर राज्य स्तर (सिफ्सा) पर नोडल आफीसर को प्रेषित करें ।

पोस्टर :

- 1 पोस्टर जिसे आप अपनी सुविधानुसार जिला महिला चिकित्सालयों, अरबन हेल्थ पोस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि स्थानों पर लगवाना सुनिश्चित करें । पोस्टर का विवरण नाप 30" x 20", 150 GSM flex in 4 colour . दीवाल में चिपकाने हेतु both side gumming strip लगाना अनिवार्य है ।
- प्रत्येक अस्पताल में कम से कम 4 पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा ।

सिनेमा स्लाइड :

- आपको एक सिनेमा स्लाइड का प्रारूप भी भेजा जा रहा है । यह सिनेमा स्लाइड स्थानीय सिनेमाघरों में सरकारी नियमानुसार दिखाया जाना सुनिश्चित करें ।

समाचार पत्रों में विज्ञापनः

- स्थानीय समाचार पत्रों में 4 विज्ञापन निकलवाना सुनिश्चित करें । विज्ञापन का विवरण – quarter page of newspaper/A4 size, in 4 colour.
- जिन समाचार पत्रों में विज्ञापन जाएं उनकी एक–एक प्रति को सुरक्षित कर उसका डाक्यूमेण्टेशन किया जाना अनिवार्य है । डाक्यूमेण्टेशन के पश्चात् उसे सिफ्सा मुख्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करायें ।

वाल पेन्ट्रिंग :

- प्रति ब्लाक 1 वाल पेन्टिंग भी बनवाना सुनिश्चित करें । size 8'x6', 4 colour. ऐसे पक्के रंग के आयल पेन्ट्स का इस्तेमाल किया जाए जो कि बारिश, धूप एवं हवा में खराब न हों (Asian, Nerolac, Burger or any other specific good company's paints) ।
- ब्लाक स्तर पर बनाई जाने वाली वाल पेन्टिंग्स पर ब्लाक का नाम अवश्य लिखा हो जिसकी फोटो खींचकर प्रेषित किए जा रहे निर्धारित प्रपत्र पर चिपकाकर उसे राज्य स्तर (सिफ्सा) पर नोडल आफीसर को प्रेषित करें ।

पेम्फलेट :

- पेम्फलेट छपवाकर जिला महिला चिकित्सालयों, अरबन हेल्थ पोस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आशा को गॉव में बाटने हेतु छपवाकर वितरित करवाना सुनिश्चित करें । विवरण– A4 size, 50 GSM glossy sheet, 4 colour.

मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक एवं जिला परियोजना प्रबन्धक हेतु निर्देश :

- मण्डलीय एवं जिला परियोजना प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि उपरोक्त समस्त कार्यो को समय एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पूर्ण

सहयोग प्रदान करें एवं जिलाधिकारी से मिलकर इस परियोजना का अनुश्रवण सुनिश्चित कराऐ ।

- होर्डिंग एवं वाल पेन्टिग हेतु प्रेषित किए गए फार्मेट पर फोटो चिपकाकर एवं समाचार पत्रों, जिनमें विज्ञापन निकाले गए हैं, उसकी प्रतियों को सुरक्षित कर उसका डाक्यूमेण्टेशन पूर्ण करवाकर सिफ्सा मुख्यालय में नोडल आफीसर–पी0एम0एम0वी0वाई0 को प्रेषित करेंगें।

वित्तीय व्यवस्था :–

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रचार–प्रसार की गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति जनपद रू0 10,00,000/– का बज़ट आवंटित किया गया है ।
- गतिविधि हेतु आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जायेगा ।
- कोई भी भुगतान नगद नहीं किया जायेगा ।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये ।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
- गतिविधि हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये । नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती हैं तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आपका सहयोग अपेक्षित है ।